राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO- 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम औमप्रकाश वगै.
निर्णय दिनांक 17/7/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनं(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी— II, R.A.S.

राजस्व वाद सं. 26 / 2018

1. दयानन्द पुत्र उमराव नवीरा जंगली
2. बुद्वराम पुत्र जंगली
3. निरंजन लाल
4. दलीप सिंह पुत्रान खुशीराम नवीरान रामनारायण
5. कैलाश चन्द
6. लीलाराम पुत्रान गिरधारी नवीरा रामनारायण
7. जगदीश प्रसाद पुत्र रामनारायण
8. नवजीत पुत्र राजपाल नवीरान अमीलाल परपौता रामनारायण
9. सुशीला पत्नी राजपाल समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 ....वादीगण

— ब ना म —

1. औमप्रकाश
2. रामकिशन पुत्रान सुण्डाराम
3. ब्रहमप्रकाश
4. वेदप्रकाश पुत्रान भाताराम
5. पुष्पा देवी पत्नी स्व0 भाताराम समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
6. शकुन्तला पुत्री भाताराम पत्नी राजाराम जाति अहीर निवासी नावता हाल आबाद कुन्जपुरा तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ हरि0
7. इन्द्राज
8. अमरसिंह
9. श्योजात पुत्रान नानड
10. मु0 चान्दा पत्नी शेरसिंह
11. धनश्याम
12. सुबेसिंह पुत्रान डेडा समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO- 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम औमप्रकाश वगै
निर्णय दिनांक 17/7/25

13. लाली पुत्री डेडा पत्नी सुरेश
14. राजेश पुत्री डेडा पत्नी शर्मानन्द जाति अहीर निवासी नावता हाल आबाद रघुनाथपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
15. रामकुमार पुत्र श्रीराम
16. हनुमान
17. जगदीश
18. लालचन्द पुत्रान जयनारायण समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
19. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
20. उप पंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

................प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति –

1. श्री विजयपाल यादव, अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: निर्णय ::– दिनांक: 17/7/25

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ति, स्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:–

1. यह कि वाके ग्राम नावता स्थित गत ख.न. 412 रकबा 18 बिस्वा दिगर खसरा नम्बरान के साथ खातेदार कास्तकार जंगली, रामनारायण पुत्रान सरूपा संवत 2012 में दर्ज रिकार्ड रहे है। जंगली की मृत्यु के बाद उसके वारिसान में उमराव, बुद्वराम पुत्रान जंगली व रामनारायण की मृत्यु के बाद उसके वारिसान में खुशीराम, गिरधारी, अमीलाल,जगदीश प्रसाद पुत्रान रामनारायण हुऐ। जंगली की वंशावली निम्न प्रकार से है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै.
निर्णय दिनांक 17/7/25

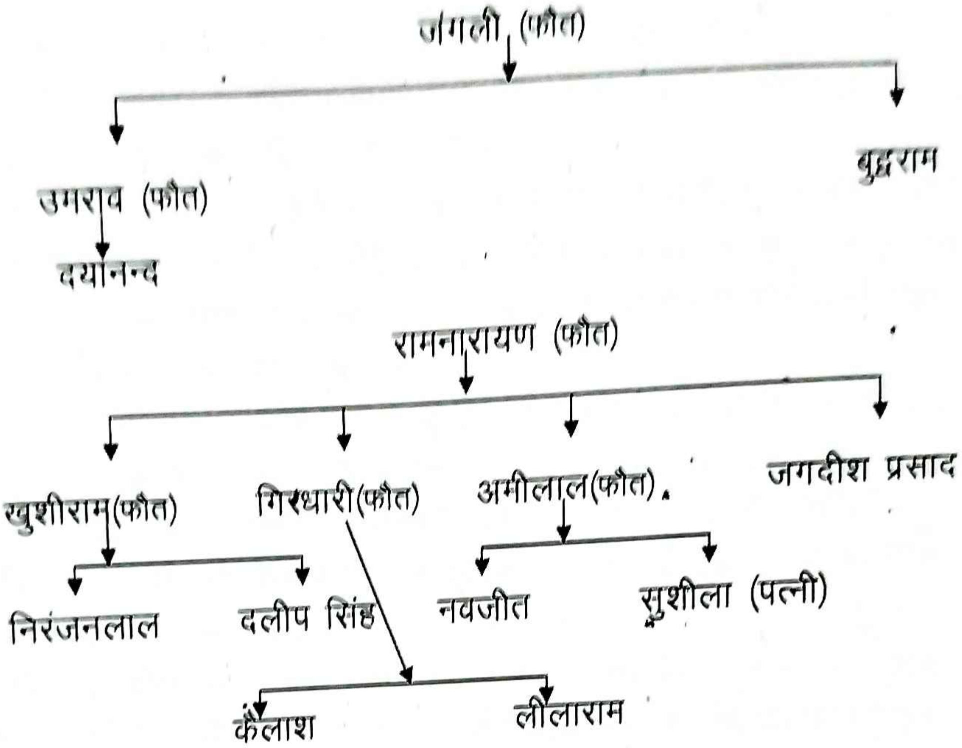

उमराव पुत्र जंगली अपने पिता के जीवन काल में ही फौत हो गया था।

2. यह कि भू प्रबंधक विभाग ने गत ख.न. 412 का हाल ख.न. 556 रकबा 0.23 है. बनाया है।

3. यह कि ख.न. 556 रकबा 0.23 है. का रिकाड जंगली, रामनारायण के वारीसान वादीगण के नाम दर्ज नही किया। इसका रिकार्ड सहवन से प्रतिवादीगण के नाम अन्य खसरा नम्बरान के साथ शामिल कर दिया। जबकि उक्त गत ख.न. 412 जिसके हाल ख.न. 556 बनाये है। इसके रिकार्ड से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही रहा है भू प्रबंधक विभाग ने सहवन से हाल ख.न. 556 प्रतिवादीगण के खाते में दिगर खसरा नम्बरान के साथ शामिल कर दिया। जबकि भू प्रबंधक विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था।

4. यह कि गत ख.न. 412 से बने हाल ख[illegible] के खातेदार काश्तकार वादीगण ही है और वादीगण के ही क[illegible] 556 का खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिका[illegible] उक्त ख.[illegible] की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जायेगा और वादीगण अकेले के न[illegible] से उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी अलग से रिकार्ड में दर्ज होगी। इसलिए यह वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा वर्तमान रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण विवादीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO- 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम औमप्रकाश वगै.
निर्णय दिनांक 17/7/25

ख.न. 556 का रहन, दान, बेचान ना करे इसके लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी पेश किया जा रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

5. यह कि गत ख.न 412 से बने हाल ख.न. 556 का खाता विभाजन करके वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होगी। जिसमें 1/2 हिससे में वादीगण सं. 1 व 2 तथा 1/2 हिस्से में शेष वादीगण सं. 3 लगायत 9 खातेदार कास्तकार होगे। और इसी आधार पर खाता विभाजन का दावा पेश किया जा रहा है।

6. यह कि दावे के लिए आधार विवाद भू प्रबंधक विभाग द्वारा साकिब ख.न. 412 से बने हाल ख.न. 556 का रिकार्ड प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 18 की खातेदारी में शामिल करने से पैदा हुआ। जिसकी जानकारी वादीगण को नकल लेन से हुई। अतः दावा सावधि पेश है वैस भी कानून में वाद घोंषणात्क, रिकार्ड दुरूस्त, खाता विभाजन हेतु कोई मियाद निर्धारित नही है।

7. यह कि विवादीत ख.न. 556 वाके ग्राम नावता तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान जी को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

8. य हकि राज. कास्त. अधि. की तृतीय परिशिष्ट में वाद घोषणात्मक ,रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 1–1 रूपया कोर्ट फीस पर सहायक कलेक्टर के यहा पेश करना दर्ज है। इसलिए यह वाद 4 रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम नावता स्थित गत ख.न. 412 से बने हाल ख.न. 556 से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख) कि उक्त ख.न. 556 का खाता विभाजन कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे। और वादीगण सं. 1 व 2 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण सं. 3 लगायत 9 का 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद वर्णित भूमि हाल ख.न. 556 का रहन, दान, बेचान ना तो स्वंय करे ना ही अपने मित्रों रिश्तेदारों व अन्य के जरिये करावें। प्रतिवादी सं. 20 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादीत ख.न. 556 से संबधिंत कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surjan Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO- 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै.
निर्णय दिनांक 17/7/25

दान, रहन, बेचान के दस्तावेज को तस्दीक ना करे ऐसा ना स्वयं करे ना अपने अनुचरो से कराते।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। जिनकी सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। कोई भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से तनकी कायम नही की गई साक्ष्यवादी में वादीगण का शपथपत्र पेश किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 लगायत 3 दर्ज किये गये।

बहस अधिवक्ता वादीगण की सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपनी खाता विभाजन के अनुतोष को विड्रा किया गया एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। एवं न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य पाता है।

–: आदेश :–

"अतः वाके ग्राम नावता स्थित भूमि हाल ख.न. 556 रकबा 0.23 है. में वादी सं. 1 को 1 / 4 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1 / 4 हिस्सा, वादी सं. 3 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 4 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 5 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 6 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 7 को 1 / 8 हिस्सा, वादी सं. 8 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 9 को 1 / 16 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है ओर वर्तमान् राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारों के नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।"

(सुमन देवी – II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 17/7/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुमन देवी – II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 26 / 2018
RCMS NO- 2018/00289
दयानन्द वगै. बनाम औमप्रकाश वगै.
निर्णय दिनांक 17/7/28

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी — II, R.A.S.

राजस्व वाद स. 26 / 2018

दयानन्द वगै. — बनाम — औमप्रकाश वगैं

दावा — घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती।

वादीगण की ओर से श्री **विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की अमल मे लाई गई इस वाद में आज तारीख 17/7/28 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि —

" वाके ग्राम नावता स्थित भूमि हाल ख.न. 556 रकबा 0.23 है. में वादी सं. 1 को 1 / 4 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1 / 4 हिस्सा, वादी सं. 3 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 4 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 5 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 6 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 7 को 1 / 8 हिस्सा, वादी सं. 8 को 1 / 16 हिस्सा, वादी सं. 9 को 1 / 16 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारों के नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया गया खर्चा वाद वादीगण अपना वहन करेगा।"

(सुमन देवी — II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलैक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested